कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 345/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक- 01.09.2026**

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

☐ शादी का झांसा देकर किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
☐ अतरौलिया बस स्टैण्ड से किशोरी सकुशल बरामद, अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

➡☐थाना पवई क्षेत्र की एक किशोरी दिनांक 09.04.2026 को घर से बाहर जाने की बात कहकर निकली थी, जिसके वापस न लौटने पर परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई। कोई जानकारी न मिलने पर दिनांक 13.04.2026 को थाना पवई पर तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-88/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡☐पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के क्रम में दिनांक 01.09.2026 को उ0नि0 लालबहादुर बिन्द मय पुलिस टीम ने सूचना पर मुकदमे से सम्बन्धित किशोरी को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त राजमणि शर्मा (24 वर्ष), निवासी जनपद सुल्तानपुर को अतरौलिया बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया।

➡☐मुकदमे में धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

थाना-महराजगंज, जनपद आजमगढ़

दिनांक-01.09.2026

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आजमगढ़। थाना महराजगंज क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

➡☐प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 01.09.2026 को परिजन द्वारा थाना महराजगंज पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त प्रिंस कुमार उर्फ रोहन, निवासी सुरहनपुर, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-212/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡☐वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महराजगंज पुलिस द्वारा दिनांक 01.09.2026 को अभियुक्त प्रिंस कुमार उर्फ रोहन (उम्र करीब 19 वर्ष) को नरोत्तमपुर पुलिया से रात्रि 00:40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई।

➡☐गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:
थानाध्यक्ष जयप्रकाश के नेतृत्व में उ0नि0 ओमकार तिवारी, हे0का0 राजेश कुमार, का0 मनीष कुमार एवं म0का0 अनामिका राय।

थाना-निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के ₹5 हजार वापस, पीड़ित ने पुलिस का जताया आभार

आजमगढ़। साइबर ठगी के मामले में थाना निजामाबाद पुलिस की साइबर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित के ₹5,000 वापस करा दिए। धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित ने पुलिस का आभार जताया।

➡️ प्राप्त जानकारी के अनुसार, अबुलजैश अहमद पुत्र मोहम्मद कासिम, निवासी सीहीपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ के बैंक खाते से 04 अगस्त 2026 को धोखाधड़ी कर ₹5,000 दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए गए थे। पीड़ित ने 18 अगस्त को साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।

➡️ शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर टीम ने संबंधित खाते में धनराशि होल्ड कराई और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूरे ₹5,000 पीड़ित के खाते में वापस करा दिए।

➡️ कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में साइबर टीम प्रभारी उ0नि0 दिलीप आनन्द, का0 राकेश यादव, का0 संदेश सिंह एवं म0आ0 रेनू देवी द्वारा की गई।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

दहेज की मांग को लेकर विवाहिता का गर्भपात कराने के मामले में पति गिरफ्तार

आजमगढ़। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता के साथ मारपीट कर उसका गर्भपात कराने के मामले में थाना निजामाबाद पुलिस ने वांछित पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्यवाही के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया।

➡️ पुलिस के अनुसार, दिनांक 12 जुलाई 2026 को वादी सुधाकर यादव पुत्र बासुदेव यादव, निवासी तोवा (अल्लाहपुर), थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना निजामाबाद में तहरीर दी गई थी कि उसकी पुत्री के ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी। आरोप है कि पति ने विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे दवा खिला दी, जिससे उसका करीब दो माह का गर्भ नष्ट हो गया। इसके बाद विवाहिता को मारपीट एवं गाली-गलौज करते हुए घर से निकाल दिया गया तथा धमकी दी गई।

➡️ तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद में मु0अ0सं0-178/2026 धारा 85, 115(2), 352, 351(3), 89 बीएनएस एवं 3/4 डीपी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

➡️ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस ने दिनांक 01 सितंबर 2026 को वांछित अभियुक्त अवनीश यादव पुत्र कर्मराज यादव, निवासी पनकरपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष को शेरपुर तिराहे से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय भेज दिया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:
व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव, रि0का0 मनीष कुमार कुशवाहा एवं रि0का0 मुकेश, थाना निजामाबाद।